P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-6* ISSUE-4* (Part-1) December- 2018
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

मृत्युदंड की बलात्कार को रोकने में प्रभावशीलता

मानसिंह मीना
सह आचार्य,
समाजशास्त्र विभाग,
राजकीय आर.डी. गर्ल्स कॉलेज,
भरतपुर, राजस्थान

सारांश

6 अगस्त 2018 को भारतीय संसद ने आपराधिक कानून संशोधन बिल, 2018 पारित किया जो कि बच्चे के बलात्कार के लिए सजा को बढ़ाने का प्रस्ताव रखता है। विधेयक बलात्कार के दोशी लोगों के लिए कड़े सजा के प्रावधान को निर्धारित करता है, खासतौर से 16 साल से कम उम्र की लड़कियों के मामलें में। अध्यादेश 12 साल से कम उम्र की लड़कियों से बलात्कार करने वालों के लिए मौत की सजा को भी आदेश देता है।

मुख्य शब्द : बलात्कार, आपराधिक कानून संशोधन बिल, मृत्युदंड।

प्रस्तावना

देशभर में बच्चों के प्रति बढ़े यौन अपराधों के प्रति उपजे जन आक्रोष के मद्देनजर केन्द्र सरकार ने 123 के तहत् आपराधिक कानून अध्यादेश (संशोधन) 2018 लाया जिसे राश्ट्रपति रामनाथ कोविन्द ने 22 अप्रेल, 2018 को अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी ध्यातव्य है कि केन्द्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने कुछ दिन पहले अपने विभाग से पॉस्को कानून 2012 में संशोधन के प्रस्ताव पर काम करने के लिए कहा था, 2015 में मद्रास उच्च न्यायालय ने बाल यौन उत्पीड़न के दोशियों को बधिया (नपुसंक) करने का सुझाव केन्द्र सरकार को दिया था एक मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने भी संसद को ऐसे अपराधों के लिए कठोरतम दण्ड वाला कानून बनाने पर विचार करने का परमार्ष दिया था, केन्द्र द्वारा लाए गए अध्यादेश के द्वारा भारतीय दण्ड संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 एवं यौन अपराधों से बच्चों की सुरक्षा के लिए अधिनियम 2012 (पॉस्को एण्ड) को संषोधित किया गया है। अध्यापदेश का सबसे चर्चित बिन्दु 12 वर्श के कम उम्र की बच्चियों के साथ बलात्कार के मामले में मृत्युदंड का प्रावधान है, अध्यादेश के तहत् बलात्कार की योजना बनाने वाले, करने वाले तथा इस कुकृत्य में षामिल अपराधियों के लिए कड़े दण्ड की व्यवस्था की गई है, विषेश रूप से 16 व 12 वर्श से कम की आयु वाली बालिकाओं की स्थिति में ऐसे मामलों के लिए नए फास्ट ट्रैक न्यायालय गठित करने, बलात्कार के मामलों की जांच के लिए सभी पुलिस स्टेषनों और अस्पतालों में विषेश फॉरेंसिक किट की उपलब्धता तथा 16 वर्श से कम आयु की बालिकाओं के बलात्कारियों के लिए अग्रिम जमानत (Anticipatory Bail) की व्यवस्था समाप्त करने का उल्लेख इस अध्यादेश में किया गया है।

यद्यपि देश भर के बाल अधिकार कार्यकर्ताओं ने 12 साल से कम उम्र की बच्चियों से बलात्कार के मामले में मौत की सजा का प्रावधान करने के लिए 'पॉस्को' कानून में संशोधन के सरकार के फैसले का विरोध किया है, सरकार का तर्क है कि बलात्कार के बढते मामलों के लिए यह निवारक का कार्य करेगा, उल्लेखनीय है कि हाल ही में राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी 12 वर्श से कम उम्र की बच्चियों से बलात्कार के मामले में मृत्युदण्ड की सजा का प्रावधान किया है, एक तरफ जहां ऐसे कानूनी का जनता के एक वर्ग द्वारा स्वागत किया जा रहा है वहीं दूसरी तरफ इसे एक भीड़ के कानून के रूप में भी देखा जा रहा है।

अध्ययन का उद्देश्य

इस लेख का उद्देश्य मृत्युदंड का बलात्कार की घटनाओं को रोकने में प्रभावशीलता की समीक्षा करना ळें

क्यों होता है बलात्कार और क्यों बढ़ रहे हैं बच्चों के साथ ऐसे मामले

बलात्कार में यौन जरूरतों की भूमिका हो सकता है, मगर यह सिर्फ सेक्सुअलिटी या कामुकता से ही सम्बन्धित नहीं है इसका सम्बन्ध अधिकार या काबू करने की ताकत में है नियंत्रित करने की यह चाह बहुत सी चीजों से उपजती है समाज में एक बुनियादी गलती यह की जाती है कि पुरुशों के दिमाग में कहीं न कहीं यह बात डाल दी गई है कि स्त्री एक वस्तु है, एक चीज है, जिस पर कब्जा किया जा सकता है, या तो किसी का पिता उसे दान कर

दे, या वह इनकार कर दे, तो उस पर अधिकार कर सकते हैं पितृसत्ता की यह सोच लोगों के दिमाग में बहुत गहराई से जमा हुआ है कई बार पुरुशों का बढ़ता तनाव भी बलात्कार का कारण होता है और महिलाओं के प्रति बढता अपमानजनक माहौल भी पुरूश के दुस्साहस को बढाने में उत्तप्रेरक का काम करता है, इन्टरनेट के युग में अष्लील सामग्री तक आसान पहुंच भी लोगों को आक्रामक बना रही है बच्चों तक पहुंच आसान होती है एवं यौन अभिव्यक्तियों को बच्चियाँ समझ नहीं पाती अतः ऐसे मामलों के लिए बच्चे अधिक सुभेद्य होते हैं यही कारण है कि 10 में से 9 यौन उत्पीड़न के मामले बच्चों के जानकार व्यक्ति द्वारा ही किए जाते हैं, बढ़ती यौन आक्रामकता एवं बच्चों तक आसान पहुंच के कारण ही ऐसे मामले में वृद्धि हुई है यद्यपि बढती जागरूकता के कारण अब अधिक मामले रिपोर्ट हो रहे हैं जो आंकड़ों में ऐसे मामलों की वृद्धि का एक प्रमुख कारण है।

यह भ्रामक धारणा भी है कि यौन उत्पीड़न सिर्फ लड़कियों का होता है, जबकि सच्चाई यह है कि लड़कों के साथ भी इस तरह की घटनाएँ अक्सर सामने आती हैं, जिस पर कोई जल्दी विश्वास नहीं करता, प्रसिद्ध फिल्मकार अनुराग कश्यप ने एक इंटरव्यू में बताया कि किस प्रकार बचपन में वे 11 साल तक यौन षोशण से गुजरते रहे, महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय द्वारा यूनाइटेड नेषन चिल्ड्रेन फण्ड, सेव द चिल्ड्रेन एवं प्रयास एनजीओ के सहायता से किए गए एक सर्वे के हवाले से कहें तो यौन दुव्यर्वहार के अनेक मामले लड़कों से सम्बन्धित हैं, जबकि अध्यादेश मुख्यतः बालिकाओं से सम्बन्धित मामलों की ही बात करता है।

क्या मृत्युदंड कारगर उपाय है?

बाल अधिकार कार्यकर्ताओं ने बच्चियों से बलात्कार के मामले में मौत की सजा का विरोध किया उनके अनुसार मृत्युदंड कोई इलाज नहीं है न ही इससे समाज अधिक सुरक्षित बनता है, बच्चियों से बलात्कार के मामले में मृत्युदंड का प्रावधान न सिर्फ प्रतिगामी है अपितु यह सहज ज्ञान के विपरीत भी है जो अंततः बच्चों के लिए ही खतरनाक होगा , बाल अधिकार कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए तमाम षोधों के अनुसार मृत्युदंड का प्रावधान बलात्कार में कमी लाता है, एक गलतफहमी है जो कुछ भ्रामक धारणाओं पर आधारित है, बाल अधिकार कार्यकर्ताओं ने निम्न तर्को के आधार पर केन्द्र सरकार के अध्यादेश का विरोध किया है–

1. यह भ्रामक धारण है कि मृत्युदंड के भय से बलात्कार के मामलों में कमी आती है, जबकि इस बात का कोई आधार या पर्याप्त सबूत नहीं है कि मृत्युदंड, अपराध में निवारक (डीटरेट) का कार्य करता है, जस्टिस जे. एस. वर्मा समिति के अनुसार बलात्कार के मामले में मृत्युदंड का प्रावधान प्रतिगामी है और हो सकता है कि इससे निवारक प्रभाव उत्पन्न न हो, ऐसे प्रावधन से बच्चों का जीवन भी खतरे में पड़ सकता है, क्योंकि अपराधी आगे किसी मामले से बचने के लिये बच्चों की हत्या कर सकता है जैसा कठुआ में हुआ। हमारे यहां कोई अपराधों के लिए पहले से ही मौत की सजा का प्रावधान है, लेकिन इसने किसी निवारक का काम नहीं किया है, दुनिया में यह सिद्ध है कि त्वरित न्याय प्रक्रिया, कानूनी सहायता और पुलिस, पुर्नवास तथा आरोपी की दोशसिद्धि को सुनिष्चित करना, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो निवारक का कार्य करते हैं।
2. नेषनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो के वर्श 2016 के आंकड़ों के अनुसार बच्चों के लैंगिक उत्पीड़न सम्बन्धी 94.5 प्रतिषत मामलों में अपराधी पारिवारिक सदस्य, रिष्तेदार, पडौसी या जानने वाले ही होते हैं जिनके साथ भावनात्मक सम्बन्ध होते हैं यही कारण है कि ऐसे मामलों की रिपोर्टिंग नहीं होती या पारिवारिक सम्बन्धों को बचाने के लिए रिपोर्ट न करने की प्रवृत्ति पाई जाती है, अतः मृत्युदंड का प्रावधान ऐसे मामलों की रिपोर्टिंग को नकारात्मक ढंग से ही प्रभावित करेगा, पारिवारिक सदस्यों को कठोर सजा के भय के कारण ऐसे मामले अब और उजागर नहीं होंगे।
3. यह भ्रामक धारणा है कि चाइल्ड रेप के मामले में सजा बहुत कम थी, जबकि ऐसे मामलों में दोशी पाए जाने पर भारतीय दंड संहिता (IPC) एवं यौन अपराधों से बच्चों की सुरक्षा के लिए अधिनिसयम–2012 (पॉस्को एक्ट) के तहत 12 वर्श से कम उम्र के बच्चों के गुरूतर प्रवेषन लैंगिक हमले (Penetrative Sexual Assault) के लिए न्यूनतम दस वर्श कठोर कारावास और अधिकतम सजा उम्रकैद एवं जुर्माना है, जबकि अध्यादेश में इसे न्यूनतम 20 वर्श कठोर कारावास एवं अधिकतम उम्रकैद या मृत्युदंड कर दिया गया है, अनुसंधान में यह तथ्य सामने आया है कि उम्रकैद की अधिकतम सजा होने पर भी अधिकांष मामलों में विषेश अदालत द्वारा न्यूनतम दंड की दिया गया है। कुछ मामलों में तो न्यूनतम से भी कम दंड की सिफारिष की गई, न्याय के लिए आवष्यक है कि दंड की निष्चयात्मकता तय हो न कि बस दण्ड को बढा दिया जाए।
4. पॉस्को एक्ट 2012 के तहत त्वरित एवं प्रभावी न्याय सुनिष्चित करने के लिये विषेश अदालतों का प्रावधान है, जिन्हें बच्चों की विषेश आवष्यकताओं का ध्यान रखते हुए 1 वर्श में मामले का निस्तारण करना है, जबकि इसे न्यायालयों द्वारा तेजी से मामले को निपटाने के लिये समाान्य कानूनी प्रक्रिया की भी परवाह नहीं की जाती, कई बार खुले में कार्यवाही की जाती है गवाहों की सुरक्षा के पर्याप्त प्रबन्ध नहीं किए जाते, बच्चों की पहचान उजागर कर दी जाती है एवं पीड़ित से कठोर प्रष्न पूछे जाते हैं, यह पूरी प्रक्रिया यह पूरी प्रक्रिया पीड़ित बच्चों के लिए एक मानसिक प्रताड़ना का कार्य करती है जांच प्रक्रिया में कमी एवं कई मामलों में आयु निर्धारण प्रक्रिया में दोश के कारण कई मामले 1 वर्श से भी लम्बे चलते हैं, नेषनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के वर्श 2016 के आँकड़ों के अनुसार पॉस्को एक्ट के तहत 89 प्रतिषत मामले अभी भी लम्बित हैं जबकि दोशसिद्धि की दर मात्र 20प्रतिषत है अर्थात् दोशमुक्त आपराधिक न्याय

तंत्र के कारण लगभग 80 मामलों में पीड़ित को न्याय नहीं मिल पाता।

क्या किया जाना चाहिए?

अधिकतर पीड़ित बच्चे या तो अपने साथ हुए यौन दुव्यर्वहार को छुपाते हैं या वे इसलिये नहीं बताते क्योंकि उनकी बात पर लोग विष्वास नहीं करते, सामाजिक कलंक समझे जाने के कारण माता–पिता या पारिवारिक सदस्य भी इस मामले को छिपाना अधिक उचित समझते हैं एवं बच्चों को चुप रहने की सलाह देते हैं इस कारण पीड़िता में भी हीन भावना उत्पन्न हो जाती है केवल कुछ मामलों में कठोर सजा देकर इस समस्या को खत्म नहीं किया जा सकता पहला कर्तव्य होना चाहिए, ऐसे अपराधों को रोकना मृत्युदंड एवं प्रतिषोधात्मक न्याय पर अधिक ध्यान देने के बजाय उन मनोवैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक कारणों पर ध्यान दिया जाना चाहिए जो बलात्कार के कारण बनते हैं।

1. सरकार को मौजूदा कानूनों को मजबूत करने एवं उनके प्रवर्तन पर अधिक ध्यान देना चाहिए, पीड़ितों और गवाहों की सुरक्षा सुनिष्चित करनी चाहिए, मुकदमों की त्वरित सुनवाई करानी चाहिए और जागरूकता पैदा करनी चाहिए।
2. न्याय प्रक्रिया से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति के लिए संवेदीकरण (मदेपजप्रंजपवद) सुनिष्चित किया जाना चाहिए एवं उन्हें इस बात का पर्याप्त प्रषिक्षण दिया जाना चाहिए कि मौजूदा कानूनों का बेहतर क्रियान्वयन किस प्रकार किया जाए।
3. कानूनी प्रक्रिया अबाधिक होनी चाहिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों को प्रभावी एवं जवाबदेह बनाया जाए एवं कानूनी प्रक्रिया में बाधा डालने वाले के विरूद्ध कड़ी कार्रवाही होनी चाहिए।
4. केन्द्रीय स्तर पर एक पीड़ित एवं गवाह संरक्षण स्कीम या कानून की आवष्यकता है जिससे पीड़ित और गवाह की सुरक्षा सुनिष्चित की जा सके।
5. निपुन सक्सैना बनाम भारत संघ मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए क्षतिपूर्ति सम्बन्धी दिषा निर्देषों एवं नालसा द्वारा द्वारा ड्राफ्ट यौन दुर्व्यवहार पीड़ितों के लिए क्षतिपूर्ति स्कीम को लागू किया जाना चाहिए।
6. यह सुनिष्चित किया जाना चाहिए कि पीड़ित को त्वरित क्षतिपूर्ति, चिकित्सा, मनोवैज्ञानिक सहायता, समाज का सकारात्मक माहौल आदि प्राप्त हो जिससे वह अपनी पढाई जारी कर सके एवं सहज जीवन व्यतीत कर सके।
7. ऐसे मामलों को उजागर करने के पर्याप्त संवेदनषील रास्ते उपलब्ध कराए जाएं, इसे कलंक के रूप में न देखा जाए, यह सोषन स्टिंग्मा ही पीड़िता की पीड़ा को और बढसा देता है एवं मामलों के प्रकटीकरण में सबसे अधिक बाधक बनता है, परिवार के सदस्य पीड़ित की बातें पर विष्वास करें एवं उन्हें हीन भावना से ग्रस्त होने से बचाऐं और बच्चे के आत्मविष्वास को निरन्तर बढाने का प्रयास करें।
8. बच्चों को सामुदायिक स्थानों, स्कूलों आदि स्थानों पर जोखिम से चिह्नित करने एवं रक्षण के पर्याप्त उपाय होने चाहिए, सभी स्कूलों में लैंगिक दुर्व्यवहार के बारे में पहचानने एवं प्रतिक्रिया देने सम्बन्धी षिक्षा को अनिवार्य बनाया जाना चाहिए।
9. ऐसे मामलों को उजागर करने एवं मुखर होने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए कल्कि कोचलिन जैसी अभिनेत्री के मुखर होने और मी टू जैसे अभियानों ने इसके लिए सकारात्मक माहौल तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
10. कानूनों को लिंग निरपेक्ष बनाया जाना चाहिए।

निष्कर्ष

एक प्रतिषोधात्मक कानून का निर्माण कर महज खानापूर्ति करने में, जो सरकारों के लिए अपेक्षाकृत बहुत अधिक आसान एवं राजनीतिक रूप से अधिक फलदायक है, परन्तु इससे न तो पीड़िता के साथ न्याय होता है और न ही समाज के साथ।

सन्दर्भ ग्रंथ सूची

1. *Ram Ahuja, 1998, Criminology, Rawat Publications, Jaipur.*
2. *K.D. Gaur, 2016, Indian Penal Code, Universal Law Publishing, Prayagraj, UP.*
3. *Nirpendra L. Mitra, 1986, Juvinile Delinquency and Indian Justice System, Deep and Deep Publications, New Delhi.*
4. *Martin O' Brien, Majid Yar, 2008 Criminology : the key concepts Rutledge Publications, London.*
5. *Clayton A. Hartgen, 2008, Youth Crime and Justice A Global Inquiry, Rutgers University Press, New Jersey, USA.*
6. *Elaine Cassel, Doughler A. Berstein, 2007, Criminal Behaviour, Lawrence Erlbaum Associates, USA.*
7. *National Crime Record Bureau (NCRB) website: ncrb.gov.in2001-2011*